संख्या- 01/2015 / 4015 /चार-2015-83 (बजट)/2006 टीसी-2

प्रेषक,

राम विशाल मिश्रा
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 01 जनवरी, 2016

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनवरत रामलीला के आयोजन के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 38.00 लाख में से रू0 33.29 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या-1877 /सं0नि-20 (अनवरत रा0ली0)/2010-11 , दिनांक 02 नवम्बर, 2015 तथा शासनादेश संख्या- 54/1373/चार-2015-83(बजट)/2006 टीसी-2 दिनांक 28 अप्रैल,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 28 अप्रैल, 2015के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में आयोजनेत्तर पक्ष में संस्कृति निदेशालय पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम तथा अभिलेखागार के लिए प्राविधानित धनराशियों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, जिसमें संस्कृति निदेशालय के लिए 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत धनराशि रू0 238.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निदेशक संस्कृति निदेशालय के निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 238.00 लाख में अनवरत रामलीला के आयोजन हेतु आवंटित धनराशि रू0 38.00 लाख में से धनराशि रू0 33.29 लाख (रूपये तेतिस लाख उन्तीस हजार मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय किये जानेकी अनुमति/स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उपरोक्त कार्य हेतु धनराशि का आहरण नियमानुसार यथा आवश्यकतानुसार कोषागार से किया जायेगा। धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्य के लिये ही किया जायेगा, किसी अन्य मद पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

4 - इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-001- निदेशन तथा प्रशासन-03- संस्कृति निदेशालय -42- अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या- 01/2016 /4065 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या फैजाबाद।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
7 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।